दिनांक 23.07.2021

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

बिना मास्क लगाए घर से निकलने वाले 146 लोगों से 17550 रुपए वसूला गया अर्थदंड, भिलाई निगम ने मास्क नहीं लगाने वालों पर की कार्रवाई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है! मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्यवाही अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वालों पर शहर में कार्यवाही करते हुए ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घर से बाहर निकलने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कलेक्टर एवं भिलाई निगम के प्रशासक डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने नियमित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की टीम ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क या अन्य तरीके से मुंह को कवर किए बिना निकलने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड की कार्यवाही की। निगम की टीम बाजार क्षेत्र , दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख चौक चौराहों का निरीक्षण करते हुए नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्यवाही कर रहे है।

जनसम्पर्क अधिकारी